



राजस्तानीक्रमांक -

107

R 332-107

श्रीमती कुन्ती देवी बेबापत्ती श्री रामचन्द्रपटेल नियासीगुम चोरगढ़ी
तहसील रायपुर कर्नूलयान, जिला रायपुर, मृ. पृ. ५०७०

— नियासीकर्ता —

बनाम

राजस्व संदर्भ संख्या २३-२-०३
को प्रस्तुति।

१- अभ्यराज सिंह पिता रामदूलारे

२- अध्यासिंह पिता रामदूलारे ५८८५

२-अ- पुष्पराज सिंहतनय अध्यासिंह

३- उमेशसिंह तनय अध्यासिंह

४- शिवनाथ सिंह पिता वित्तमधर सिंह

५- अलणीसिंह पिता वित्तमधर सिंह

६- कामता पिता गयादीन

७- नर्बदारीपता भावानदीन

८- केमलारीपता भावानदीन

९- बंश बडोब पिता केमला

१०- कान्तेश्वरीसिंह पिता अभ्यराज सिंह

११- रामाधार पिता रामपत्त

१२- रामपीराज तनय रामदेव

१३- रामानुज तनय रामदेव पटेल

१४- श्यामलाल तनय

१५- ठाकुर दीन तस्मायादीन

१६- रामकृष्णाल तनय जमुना सभी नियासी ग्राम चोरगढ़ी तहसील रायपुर
जिला रायपुर मृ. पृ. ५०७० --- प्रत्यर्थीगण

नियासी विलह नाडिरा दीमानू आदिकत मठोदय

Bhawna
23/2/81

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 332-दो/07

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्रीमती कुन्ती देवी बेवा रामसुन्दर पटेल निवासी ग्राम चोरगडी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	<i>Omkar</i> सदस्य
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत। आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्रीमती कुन्ती देवी बेवा रामसुन्दर पटेल निवासी ग्राम चोरगडी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	<i>Omkar</i> सदस्य
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत। आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एवं आवेदक श्रीमती कुन्ती देवी बेवा रामसुन्दर पटेल निवासी ग्राम चोरगडी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	<i>Omkar</i> सदस्य
अतः म0प्र0भू—राजस्व सहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।		
(अशोक शिवहरे) सदस्य		